



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 36,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु0अ0सं0-223/2023 धारा- 458,376 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सलमान पुत्र सैय्यद खां निवासी कस्बा व थाना बिवार जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 36,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
निरी0 निशिकान्त
राय



पैरोकार- थाना बिवार
का0 प्रेम सिंह